माल और सेवा कर परिषद
GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL

वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय

5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

547/GoMforRevenue MobilisationincaseofNaturalcalamitiesor Disasters/GSTC/2024

दिनांक: 03-03-2025

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन की बावत |

21.12.2024 को आयोजित GST परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, एक मंत्रियों का समूह (GoM) गठित किया गया है, जो राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों की स्थिति में उपकर (cess) लगाने से संबंधित कानूनी और संरचनात्मक मुद्दों की जांच करेगा और इस संबंध में एक समान नीतियों की सिफारिश करेगा। इस GoM में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम और राज्य	स्थिति
1.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	संयोजक
2.	श्रीमती अजंता नियोग	माननीय वित्त, महिला एवं बाल विकास मंत्री, असम	सदस्य
3.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	माननीय वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
4.	श्री कनुभाई देसाई	माननीय वित्त एवं ऊर्जा मंत्री, गुजरात	सदस्य
5.	श्री के एन बालगोपाल	माननीय वित्त मंत्री, केरल	सदस्य
6.	श्री प्रेमचंद अग्रवाल	माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड	सदस्य
7.	श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य	माननीय वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य

2. GoM के विचारार्थ विषय (ToR) निम्नलिखित हैं:

i. प्राकृतिक आपदा या विपदा की स्थिति में राजस्व संग्रहण के लिए राज्यों द्वारा **विशेष उपकर (special cess)** लगाने की संवैधानिक और कानूनी व्यवहार्यता की जांच करना।

ii. जीएसटी शासन के तहत राज्यों द्वारा ऐसे विशेष उपकर लगाने के उद्देश्य से किसी घटना को प्राकृतिक आपदा या विपदा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ढांचे (framework) की पहचान करना और उसकी जांच करना।

iii. यह जांचना कि क्या विशेष उपकर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए या सभी क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए।

iv. यह जांचना कि क्या ऐसे विशेष उपकर का आरोपण केवल B2B आपूर्ति, केवल B2C आपूर्ति या दोनों पर होना चाहिए; और क्या उक्त विशेष उपकर **रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM)** के तहत आपूर्ति पर लागू होना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि अंतर-राज्यीय आपूर्ति में करों की रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

v. उक्त विशेष उपकर की **दर संरचना (rate structure) और समय अवधि** की जांच करना जिसके लिए इसे लगाया जाना चाहिए।

vi. यह जांचना कि क्या विशेष उद्देश्य के लिए SGST पर उपकर लगाना जीएसटी अधिनियम के उद्देश्य, विशेष रूप से **"एक राष्ट्र एक कर"** के अनुरूप होगा।

vii. यह जांचना कि क्या जीएसटी की मूल संरचना को बदले बिना प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्यों की मदद करने के लिए कोई **वैकल्पिक तंत्र (alternate mechanism)** तैयार किया जा सकता है।

3. राजस्व विभाग GoM को आवश्यक सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(रेश्मा आर कुरुप)
(अवर सचिव
दिनांक : 03-03-2025

सेवा में,
GoM के माननीय सदस्य।
प्रतिलिपि :

1. माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार।
2. माननीय राज्य वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार।
3. उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के नोडल अधिकारी।
4. राजस्व सचिव के पीपीएस।
5. अध्यक्ष CBIC के पीपीएस।
6. अतिरिक्त सचिव (राजस्व) के पीपीएस।
7. संयुक्त सचिव (TPRU/राजस्व) के पीपीएस।

(रेश्मा आर कुरुप)
UNDER SECRETARY